

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 505]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 17, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

क्र. 31490-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 29 सन् 2016) जो विधान सभा में दिनांक 8 दिसम्बर 2016 को पुरस्थापित हुआ है, जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २९ सन् २०१६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम। १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन अधिनियम, २०१६ है।

अनुसूची का संशोधन। २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक २३ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
“२४.	अवंतिका विश्वविद्यालय, उज्जैन.	महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड एजुकेशनल रिसर्च, १२४, एक्स सर्विसमेन कॉलोनी, पाउड रोड, कोथरुड, पुणे.	बाब्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, १९५० (बाब्बे अधिनियम, क्रमांक २९ सन् १९५०) के अधीन रजिस्ट्रीकृत पब्लिक ट्रस्ट.	अवंतिका विश्वविद्यालय, विश्वनाथपुरम, ग्राम लेकोडा, तहसील एवं जिला उज्जैन.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश”.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग, राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा। उक्त उपबंध के आलोक में, विनियामक आयोग ने निजी विश्वविद्यालय, अर्थात् अवंतिका विश्वविद्यालय, विश्वनाथपुरम, ग्राम लेकोडा, तहसील एवं जिला उज्जैन स्थापित करने की अनुशंसा की है। उक्त अधिनियम की धारा ६ के आलोक में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में, उक्त विश्वविद्यालय के प्रायोजी निकाय को आशय पत्र जारी कर दिया है। उक्त अधिनियम की धारा-९ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारण से संतुष्ट होने के पश्चात् उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विवरण को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाए।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख ६ दिसम्बर, २०१६

जयभान सिंह पवैया

भारसाधक सदस्य।

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 511]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 18, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2016

क्र. 19402-299-इकाई-अ-(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, 2016 (29 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 29 of 2016

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) TRITIYA SANSHODHAN VIDHEYAK, 2016.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam sanchalan) Adhiniyam,2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-seventh year of the Republic of India as follows:—

- Short title.** 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan)Tritiya Sanshodhan Adhiniyam, 2016.
- Amendment of Schedule.** 2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidhyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 23 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely ;—

S.No.	Name of private university (2)	Name of sponsoring body (3)	Mode of forming sopnsoring body (4)	Main campus (5)	Jurisdiction (6)
(1)					
"24.	Avantika University, Ujjain	Maharashtra Academy of Engineering and Educational Research, 124, Ex- Servicemen Colony, Paud Road, Kothrud, Pune	Public Trust registered under the Bombay Pubic Trust Act, 1950 (Bombay Act No. 29 of 1950)	Avantika University, Vishvanathpuram Gram Lekoda, Tehsil and District Ujjain	Whole of Madhya Pradesh".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In Section 5 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), it is provided that the Regulatory Commission Constituted under the Act shall evalute the proposal of establishment of Private University in the State. In the light of the said provision, the Regulatory Commission has recommended to establish the Private University, namely, Avantika University, Vishvanathpuram, Gram Lekoda, Tehsil and District Ujjain. In the light of Section 6 of the said Act, the State Government has issued the letter of intent to the sponsoring body of the said University, with regard to the establishment of the said University. Section 9 of the said Act provides that after being satisfied on considering the report submitted by the Regulatory Commission, Private University shall be established by incorporating the name and description there of in the Schedule to the said Act.

2. Hence this Bill.

Bhopal :

Dated the 6th December, 2016

JAIBHAN SINGH PAWAIYA
Member-in-charge.